सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 674 राँची, मंगलवार 17 जुलाई, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

10 जुलाई, 2018 ई०।

विषयः- वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नयी नीति /योजना की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- 18/विविध(07)02/2018-3801-- विधि व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती वामपंथी उग्रवाद की समस्या है । झारखण्ड राज्य के राँची, गुमला, खूँटी, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढवा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पष्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसाँवा, जिले इस समस्या से गंभीर रूप से आक्रान्त है । शेष जिलों में सभी वामपंथी उग्रवाद अपना पाव पसार रहा है तथा वहाँ भी उग्रवादी घटनाएँ यदाकदा प्रतिवेदित होती रहती है। झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात इस समस्या को चुनौती के रूप में लिया गया है, जिसमें विशेष सफलताएँ मिली है । इससे उग्रवादियों का मनोबल गिरा है । प्राप्त सूचनाओं से यह आभास मिला है कि बहुत से लोग बहकावे में आकर अथवा गलत धारणाओं के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवादियों के साथ मिल गये थे, जिन्हें अब अपनी गलती का अहसास हो रहा है तथा वे

समाज की मुख्य धारा में मिलने को आतुर है । ऐसे तत्वों को एवं उनके परिवार को मुख्यधारा में वापस लाने के उद्देष्य से एक प्रत्यार्पण नीति का निर्धारण विभागीय संकल्प सं०-694, दिनांक 18 फरवरी, 2009, 5983, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 एवं 1721, दिनांक 20 मार्च, 2015 द्वारा किया गया, परन्तु आत्मसमर्पित उग्रवादियों को दिये जाने वाले पुनर्वास पैकेज का वर्तमान प्रावधान एवं उसकी निष्पादन प्रक्रिया जटिल एवं समयसाध्य महसूस की जा रही है क्योंकि आत्मसमर्पित उग्रवादियों को पुनर्वास पैकेज का अनुमान्य लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है । इसके कारण सरकार की सकारात्मक मंशा फलीभूत नहीं हो पा रही है । परिणामतः आत्मसमर्पित उग्रवादियों में हताशा और उपेक्षा भाव होने की संभावना बनी रहती है । प्रत्यार्पण नीति को उत्साहवर्द्धक एवं आकर्षक बनाने तथा उसके त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त नीति के स्थान पर नयी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना का निरूपण कर आत्मसमर्पित उग्रवादियों को देय पुनर्वास पैकेज का अनुमान्य लाभ उसकी निष्पादन प्रक्रिया को सरल करने से ससमय मिलने की शुरूआत होगी, जिससे आत्मसमर्पित उग्रवादियों एवं उनके आश्रित परिवार के बीच हताशा और उपेक्षा की संभावना नहीं बनेगी । साथ ही सरकार के इस नीति से प्रभावित होकर अन्य उग्रवादी भी आकर्षित होते हुए मुख्यधारा में मिलने को आतुर होगें । इस पृष्टभूमि में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में एतद्विषयक पूर्व की नीति के स्थान पर नयी प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास योजना का निरूपण निम्नवत की जाती है:-

1. **उदेश्य** :-

वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास की योजना का उद्देयश्य है कि (क) वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण को प्रोत्साहित किया जाये एवं (ख) प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुये उनके वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाय ।

2. **परिभाषा** :-

वामपंथी उग्रवादी का अर्थ है - ऐसे संगठनों के सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध (संशोधन) अधिनियम, 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है ।

3. **योग्यता** :-

3.1 यह योजना केवल उन्हीं उग्रवादियों पर लागू होगी, जिन्हें उग्रवादी संगठन के दस्ते के सदस्य या उसके ऊपर के पदधारक के रूप में विशेष शाखा द्वारा पहचान की गयी हो ।

3.2 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों द्वारा संगठन के संबंध में सभी जानकारियों का खुलासा करने/संबंधित अपराधिक मामलों के संबंध में सभी तथ्य उपलब्ध कराने की स्थिति में ही उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा । प्रत्यार्पण के फलस्वरूप पुनर्वास अनुदान एवं अन्य लाभ जिला पुनर्वास समिति द्वारा स्वीकृत पैकेज के अधीन होगी ।

स्वीकृत करने के लिए पूर्ण शक्ति जिला पुनर्वास समिति में निहित रहेगी । स्वीकृत पैकेज की एक प्रति गृह विभाग तथा एक प्रति पुलिस महानिदेशक को भेजी जाएगी ।

3.3 प्रत्यार्पण पूर्णरूपेण स्वैच्छिक तथा बिना किसी दबाव/उग्रवादी संगठन की प्रेरणा से होना आवश्यक है ।

3.4 साधारणतः विशेष शाखा का प्रत्यार्पण संबंधी सभी पहलुओं का सत्यापन ही एक मात्र मानक होगा किन्तु विशेष परिस्थिति में किसी भी प्रस्ताव के तथ्यों का सत्यापन सरकार अन्य श्रोतों से भी करा सकती है ।

4. उग्रवादियों द्वारा प्रत्यार्पण मंत्री/सांसद/विधायक/प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डलीय पदाधिकारी (दण्डाधिकारी)/अनुमण्डलीय पुलिस पदाधिकारी /प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मनोनित पदाधिकारियों के समक्ष किया जा सकता है । ये पदाधिकारी समर्पणकर्ता उग्रवादियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या पुनर्वास कैम्प/केन्द्र को सुपुर्द करेंगे जहाँ उनके पुनर्वास योजना का सूत्रण/कार्यान्वयन किया जायेगा ।

5. **पुनर्वास पैकेज**:-

पुनर्वास पैकेज के अवयव (Component) के रूप में नीचे अंकित सुविधाओं को सम्मिलित किया जायेगा:-

5.1 नक्सलियों का श्रेणी “ए” एवं श्रेणी “बी” में श्रेणीकरण:- “ए” श्रेणी में जोनल कमाण्डर एवं उसके उपर के स्तर के नक्सलियों को रखते हुए पुनर्वास अनुदान रू० 6,00,000/- (छः लाख) होगा, जिसमें से रू० 2,00,000/- (दो लाख) का भुगतान तत्काल सरेन्डर के उपरांत किया जायेगा तथा शेष रू० 4,00,000/- (चार लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा जिसकी पहली किस्त एक वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त दो वर्ष बाद सरेन्डरड उग्रवादी की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात देय होगा तथा “बी” श्रेणी में जोनल कमाण्डर से नीचे स्तर के नक्सलियों को रखते हुए पुनर्वास अनुदान रू० 3,00,000/-(तीन लाख) जिसमें से रू० 1,00,000/- (एक लाख) मात्र का भुगतान तत्काल सरेन्डर के उपरांत किया जायेगा तथा शेष राषि रू० 2,00,000/- (दो लाख) का भुगतान दो बराबर किस्तों में होगा, जिसकी पहली किस्त एक वर्ष बाद तथा दूसरी किस्त दो वर्ष बाद आत्मसमर्पित उग्रवादियों की गतिविधियों की छानबीन विशेष शाखा द्वारा किये जाने के पश्चात देय होगा ।

5.2 कार्यशील एवं नियमित आग्नेयास्त्र (Regular), गोला - बारूद के समर्पण के बदले अतिरिक्त भुगतान निम्नरूपेण तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

क्र०	आग्नेयास्त्र / विस्फोटको का प्रकार	पुरस्कार से संबंधित राशि
1.	राकेट लांचर / एल०एम०जी०	रू० 1,00,000/-
2.	ए०के० 47 / 56 / 74 रायफल /स्नाईपर रायफल /इंसास/ एस०एल०आर०	रू० 75,000/-
3.	.303 रायफल / पिस्टल / रिवालवर / कार्बाइन	रू० 25,000/-
4.	.315 रायफल और अन्य रायफल	रू० 15,000/-
5.	रिमोट कंट्रोल डिवाईसेस	रू० 6,000/-
6.	ग्रेनेड / हैण्ड ग्रेनेड	रू० 2,000/-
7.	वायरलेश सैट	रू० 2,000/-से 10,000/- (रेंज के आधार पर)
8.	आई० ई० डी०	रू० 6,000/-
9.	विस्फोटक सामग्री (प्रति कि० ग्रा०)	रू० 2,000/-

5.3 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी की योग्यता एवं अभिरूचि के अनुसार पुनर्वास समिति द्वारा कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा जिलों में संचालित कौशल विकास केन्द्रों में उपलब्ध विभिन्न संकायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ।

अथवा

पुनर्वास समिति द्वारा रू० 6,000/- (छः हजार) प्रतिमाह की वृति पर एक वर्ष तक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी । विशेष परिस्थिति में व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि एक अतिरिक्त वर्ष तक के लिए विस्तारित की जा सकेगी ।

5.4 अधिकतम चार डिसमील जमीन गृह निर्माण हेतु आवंटित की जाएगी ।

5.5 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी यदि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) के लाभ हेतु आवश्यक अहर्ताओं को पूरा करता है तो उसको प्राथमिकता से इस योजना का लाभ दिया जाएगा ।

योजना के लाभ हेतु अगर वह इन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) में वर्णित राशि आवास निर्माण हेतु दी जाएगी । यह राशि/लाभ प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों को पुनर्वास समिति द्वारा गृह निर्माण हेतु आवंटित जमीन की स्थिति (ग्रामीण/ शहरी) के अनुसार दी जायेगी ।

5.6 राज्यान्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उग्रवादी एवं उसके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जायेगी ।

5.7 आत्मसमर्पित नक्सलियों/उनके बच्चों के स्नातक स्तर तक की शिक्षा में शिक्षण शुल्क (हास्टल फीस व अन्य फीस के साथ) के रूप में अधिकतम स्० 40,000/- (चालीस हजार) रूपये मात्र वार्षिक का भुगतान किया जायेगा । यह भुगतान प्रत्येक तिमाही में संबंधित शिक्षण संस्थानों को अग्रिम के रूप में किया जायेगा ।

5.8 मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान राशि दी जाएगी ।

5.9 यदि प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के सिर पर उसके मारे जाने या गिरफ्तार होने पर कोई सरकारी ईनाम घोषित हो, तो समर्पण के उपरांत घोषित ईनाम की राशि उन्हें ही प्रदान कर दी जायेगी । संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पण करने पर घोषित ईनाम की राशि परिशिष्ट-01 के अनुरूप भुगतान की जाएगी ।

5.10 समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्ता को उग्रवादियों द्वारा मारा जाता है, तो उसके परिवार को सरकार द्वारा तत्समय उग्रवादी हिंसा में मृत आम नागरिक के आश्रित को अनुमान्य अनुदान एवं सुयोग्य आश्रित को नौकरी का लाभ दिया जाएगा । भले ही मृतक का प्रत्यार्पण के पूर्व अपराधिक इतिहास रहा हो ।

5.11 राष्ट्रीय/सहकारी बैंक से स्वनियोजन हेतु रू० 4,00,000/- (चार लाख) तक के लिए ऋण प्राप्ति में सहायता देगी । ऋण से प्राप्त राशि पर देय ब्याज के विरूद्ध सरकार 50% की सीमा तक अधिकतक रू० 1,00,000/- (एक लाख) की राशि प्रतिपूर्ति करेगी ।

अथवा

शारीरिक मापदण्डों को पूरा करने वाले प्रत्यार्पित उग्रवादियों को पुलिस/गृह रक्षक/ विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है । महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शारीरिक मापदण्ड को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

5.12 राज्य सरकार द्वारा प्रत्यार्पित उग्रवादी को रू० 5,00,000/- (पांच लाख) की जीवन बीमा करायी जाएगी एवं इसके लिये आवश्यक प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा ।

5.13 प्रत्यार्पित उग्रवादी के आश्रितो के लिए भी (परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों लिए) रू० 1,00,000/-(एक लाख) की समूह जीवन बीमा भी करायी जाएगी ।

5.14 प्रत्यार्पित उग्रवादी की संपत्ति को उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने की स्थिति में क्षति का आकलन पुनर्वास समिति द्वारा कर क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

(6) विशेष शाखा की सूचना के आधार पर समीक्षोपरान्त यदि प्रत्यार्पणकर्ता कालांतर में पुनः उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाता है तो पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत भुगतेय सभी लाभ

उपायुक्त या बैंक द्वारा स्वतः जप्त कर लिया जायेगा, साथ ही प्रत्यार्पणकर्ता को अगर सरकारी नौकरी मिली हो, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी । यदि परोक्ष रूप से भी वे उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त पाये जाते हैं, तो सभी लाभ जप्त हो जायेंगे । परोक्ष रूप से उग्रवादी गतिविधि में संलिप्त होने या नहीं होने के बिन्दु पर अंतिम निर्णय एवं निष्पादन विशेष शाखा से प्राप्त सूचना/मंतव्य के आधार पर संबंधित जिला पुनर्वास समिति द्वारा किया जायेगा ।

(7) न्यायालय संबंधी मामले:-

7.1 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित जघन्य आपराधिक मामलों को विधि के अनुसार निष्पादित किया जायेगा । अन्य अपराधों के लिए समर्पणकर्ता को प्ली बारगेनिंग (Plea Bargaining) का विकल्प रहेगा ।

7.2 आत्मसमर्पित उग्रवादी को उसके अनुरोध पर अधिक से अधिक संख्या में खुला जेल सह पुनर्वास केन्द्र (Open Jail) में स्थानान्तरण की नियम सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

7.3 जिला स्तर पर उपायुक्त द्वारा एक समिति बनायी जायेगी जिसमें उस जिला के लोक अभियोजक, पुलिस उपाधीक्षक तथा एक कार्यपालक दण्डाधिकारी होंगे । यह समिति आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरूद्ध अंकित कांडों (अनुसंधान अंतर्गत/आरोप पत्र) की समीक्षा करेगा । कांड में विचारण हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर या द॰ प्र॰ सं॰ की धारा 321 के अन्य प्रावधानों के अनुसार वैसे कांडों की प्रत्यार्पण करने वाले नक्सली के विरूद्ध वापसी की कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुशंसित करेंगे । उक्त समिति द्वारा आत्पसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण के आधार पर उनके ऊपर चल रहे मुकदमों की पैरवी हेतु वकीलों पर उनके द्वारा किये जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति/व्यय हेतु राशि के भुगतान हेतु संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संबंधित उपायुक्त को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर उपायुक्त के अध्यक्षता में गठित पुनर्वास समिति द्वारा भुगतान संबंधी निर्णय लिया जायेगा ।

7.4 न्यायिक प्रावधान के तहत् आवश्यक शर्त पूरा करने की स्थिति में सरकार द्वारा राजसाक्षी (Approver) बनाने/महिला एवं नाबालिग होने की स्थिति में प्रचलित विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है ।

7.5 गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में किराये पर रह रहे आत्मसमर्पित उग्रवादी/नक्सली या उनके परिवार को रू॰ 1,500/- (एक हजार पाँच सौ रूपये) तक प्रतिमाह किराये राशि का भुगतान किया जायेगा । यह लाभ गृह निर्माण हेतु सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने या निःशुल्क आवास उपलब्ध नहीं कराये जाने या अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक, इनमें जो भी पहले हो, तक देय होगा ।

7.6 प्रत्यार्पित उग्रवादी के विरूद्ध लंबित मुकदमा का शीघ्रताशीघ्र निष्पादन हेतु विशेष न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) गठित कराया जायेगा ।

7.7 प्रत्यार्पित उग्रवादी द्वारा उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलित होने के पीछे लंबित भू-विवाद का कारण होने की स्थिति में संबंधित भूमि विवाद मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध न्यायालयों से कराया जायेगा ।

(8) उपरोक्त कंडिका 5.2 के अनुसार समर्पण किये गये सक्रिय हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री आदि एवं कंडिका 5.9 के अनुसार संबंधित उग्रवादी के सिर पर घोषित सरकारी इनामों को छोड़कर समर्पणकर्ता यदि पति एवं पत्नी दोनों हों, तो पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत उन्हें एक यूनिट ही माना जायेगा ।

(9) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी तथा आवश्यकतानुसार संशोधन करेगी ।

(10) राज्य सरकार में आवश्यकता अनुरूप विशेष परिस्थितियों में उपुर्यक्त प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति निहित रहेगी ।

(11) **स्क्रीनिंग समिति:-**

प्रत्येक उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के संबंध में निर्णय एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया जायेगा। इस समिति के अध्यक्ष जिला पुलिस अधीक्षक होंगे एवं अन्य सदस्य के रूप में जिला दण्डाधिकारी तथा अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा एक-एक पदाधिकारी मनोनित किये जायेंगे।

(12) **पुनर्वास समिति:-**

12.1 प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पुनर्वास समिति गठित होगी, जिसके सदस्य सचिव जिला पुलिस अधीक्षक होंगे तथा उप विकास आयुक्त, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी एवं समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा मनोनित एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे । जिला पुनर्वास समिति द्वारा प्रत्येक प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी के संबंध में निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जायेगा:-

(क) उग्रवादी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि,
(ख) उम्र,
(ग) उसकी सामान्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता,
(घ) पुनर्निवासन हेतु उपलब्ध विकल्पों के संबंध में उसकी प्राथमिकता,
(ड़) प्रस्तावित पुनर्वास पैकेज की सम्भाव्यता (Feasibility)।

12.2 पुनर्वास पैकेज के सूत्रण के क्रम में समिति द्वारा पेशेवर सहायता एन॰ जी॰ ओ॰/ परामर्शी से प्राप्त की जा सकती है ।

12.3 पुनर्वास पैकेज को तैयार करना, अंतिम रूप देना एवं उसको स्वीकृत कराते हुए कार्यान्वित करने का पूर्ण अधिकार जिला पुनर्वास समिति को होगा । स्वीकृत पैकेज की एक प्रति पुलिस महानिदेशक तथा एक प्रति गृह विभाग को उपायुक्त द्वारा भेजी जाएगी ।

(13) पुनर्वास पैकेज के तहत् अनुमान्य भुगतान बजटशीर्ष मांग संख्या-22-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)/Home, Jail and Disaster Management Department(Home Division), मुख्यशीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ/Other Administrative Services, लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय/Other Expenditure, उपशीर्ष-10-उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि/Incentive for surrendered terrorists, विस्तृतशीर्ष -06-अनुदान/Grants, इकाई-49- आर्थिक सहायता/Cash (विपत्र कोड-22S207000800100649) से विकलनीय होगा । राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त होंगे । आवश्यकतानुसार राशि की आवंटन की मांग गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड से किया जायेगा ।

परिशिष्ट-1

(कंडिका 5.9)

क्र.	संगठन में स्थान	पुरस्कार की राशि
1.	केन्द्रीय कमिटी सचिव/पोलित ब्यूरो सदस्य / केन्द्रीय कमिटी सदस्य (CCM)	रू॰ 1,00,00,000/-(एक करोड़)
2.	स्पेशल एरिया कमिटी सदस्य/रिजनल ब्यूरो सदस्य (CCM)	रू॰ 25,00,000/-(पचीस लाख)
3.	रिजनल कमेटी सदस्य	रू॰ 15,00,000/-(पन्द्रह लाख)
4.	जोनल कमेटी सदस्य	रू॰ 10,00,000/-(दस लाख)
5.	सब जोनल कमेटी सदस्य	रू॰ 5,00,000/-(पाँच लाख)
6.	कमाण्डर (एरिया कमिटी/दस्ता)	रू॰ 2,00,000/-(दो लाख)
7.	एल॰ जी॰ एस॰ दस्ता सदस्य दलम/ एल॰ ओ॰ एस॰ के॰ के सी॰ सदस्य	रू॰ 1,00,000/-(एक लाख)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस०के०जी० रहाटे,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 674 -- 50